सेवा में

माननीय अध्यक्ष महोदय
हरियाणा विधानसभा
चंडीगढ़

विषय : **हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व् कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।**

महोदय जी,

हरियाणा राज्य महिलाओं के प्रति अपराध का हब बन गया है। भाजपा सरकार ने "बेटी बचाओ-बेटी पढाओ" का नारा दिया था जोकि आज महिलाओं के लिए एक अभिशाप बन गया है। पिछले वर्ष की NCRB रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे देश में महिला अपराध 0.5% बढे जबकि हरियाणा में 57% अपराध दर्ज हुए और हरियाणा देश का तीसरा सबसे ज्यादा महिला अपराधिक प्रदेश बन गया है।

अभी हाल ही में ऐसी बहुत सारी नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार एवं छेड़-छाढ़ की घटनाएँ हुयी है विशेषकर शिक्षण संस्थानों में नाबालिग छात्राओं के साथ प्रधानाचार्य पद पर तैनात शिक्षक ऐसी शर्मनाक घटनाओं में सम्मिलित हैं। उचाना में जो घटना हुयी उसकी जांच के लिए CJI तक पहुचना पढ़ा तब कहीं जाकर सरकार ने कुछ संज्ञान लिया। इस प्राधानाचार्य ने ऐसी हरकतें कई नाबालिग छात्राओं के साथ की है परन्तु इसके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी ही एक और घटना जींद के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने भी की थी।

अध्यक्ष महोदय गाँव मानकाबास, जिला चरखी दादरी की एक ११वी की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश राजीव पुत्र धर्मपाल के खिलाफ महिला थाना दादरी में दिनांक 02-12-2023 जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। अगर अपराधियों के खिलाफ एवं शिक्षण संस्थानों में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध न किये गए तो आने वाले समय में इस तरह के अपराध और तेजी से बढ़ेंगे जिससे निबटने में प्रशासन भी नाकामयाब हो जाएगा।

**(किरण चौधरी)**
विधायक - तोशाम